प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 22.12.2020 जनपद देवरिया।

01.थाना कोतवाली पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाईकिल बरामद करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

आज दिनांक 22.12.2020 को उ0नि0 रमेश कुमार सिंह मय हमराही क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए रूद्रपुर मोड़ पर मौजूद थे कि मुखबिर की सूचना पर एक मोटरसाईकिल बिना नम्बर प्लेट पर सवार दो व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिनके द्वारा अपना नाम पता 01.गोलू यादव पुत्र विजय बहादुर यादव निवासी–अहिर परसिया थाना–कोतवाली जनपद–देवरिया, 02.नितेश तिवारी पुत्र चन्द्रभूषण तिवारी निवासी–सरौरा थाना–कोतवाली जनपद–देवरिया बताया गया। पुलिस टीम द्वारा मोटरसाईकिल के संबन्ध में कागजात मांगे जाने पर नहीं दिखा पाये, जिसके संबन्ध में कड़ाई से पूँछ–तॉछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 29.11.2020 को रूद्रपुर मोड़ स्थित लक्ष्मीनरायण मन्दिर के पास से चोरी किये थे। पुलिस टीम द्वारा बरामद मोटसाईकिल को कब्जे में लेते अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

इस प्रकार बरामद मोटरसाईकिल एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी से दिनांक 29.11.2020 को रूद्रपुर मोड़ स्थित लक्ष्मीनरायण मन्दिर के पास से चोरी मोटरसाईकिल के संबन्ध में वादी अजीत कुमार पुत्र प्रेमशंकर गुप्ता निवासी–रूद्रपुर रोड़ थाना–कोतवाली जनपद–देवरिया की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0–924/2020 धारा–379 भादसं का सफल अनावरण किया गया।

02.थाना रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 21.12.2020 को थानाध्यक्ष रामपुर कारखाना मय हमराही देखभाल क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम बैकुण्ठपुर से देवरिया कसया मार्ग के पास से एक महिला के पास 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसके द्वारा अपना नाम पता मुनिया देवी पत्नी स्व0 वृद्धि सिंह चौहान सा0 बैकुण्ठपुर थाना रामपुर कारखाना, देवरिया बताया गया। पुलिस टीम द्वारा बरामद अवैध गांजा को अपने कब्जे में लेते हुए अभियुक्ता को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

03.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहीः–

➡**थाना बरहज** पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.झाबर यादव पुत्र स्व0 रामचन्द्र यादव सा0 नौका टोला कपरवार थाना बरहज, देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡**थाना मईल** पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों 01.रोपन यादव पुत्र रामवृक्ष सा0 तेलिया कला थाना मईल, देवरिया, 02.द्वारिका साहनी पुत्र महाजन साहनी सा0 तेलिया कला थाना मईल, देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10–10 लीटर कुल 20 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

04.वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारीः–

➡**थाना रामपुर कारखाना**–मु0अ0सं0–447/2020 धारा–323,504,506,325,308 भादवि 01–बृजलाल पुत्र खड़बड़ सा0 रामपुर दुल्लह थाना रामपुर कारखाना, देवरिया।